R.M.M. Law College Saharsa
Lecturer - Nareshji Anand
L.L.B Part - IInd
Paper - Ist
Family Law (Muslim Law)

अपनी ही तलाकशुदा स्त्री से पुनर्विवाह :-

जहाँ कोई पुरुष अपनी पत्नी को तलाक दे देता है और यह तलाक तिबारा तलाक की तरह प्रभावी हो जाता है तो उस पुरुष और स्त्री में पुनर्विवाह असम्भव है जब तक कि वह स्त्री निम्नलिखित शर्ते पूरी न करे-
(1) इद्दत काल पूरा करे,
(2) किसी अन्य पुरुष से विधि पूर्वक विवाह
(3) इस विवाह का सम्भोग हो,
(4) द्वितीय पति उसे तलाक दे,
(5) वह स्त्री पुनः इद्दत काल पूरा करे।

पति ने यदि पत्नी को तिबारा तलाक दे दी तो तत्पश्चात जब तक वह स्त्री दूसरे पुरुष संग विवाह न कर ले तब तक वह स्त्री उस पति के लिए जायज नहीं बन सकती; हाँ यदि दूसरा पति सम्भोग करके उसको तलाक दे दे तो दोनो पर कुछ पाप नहीं कि एक दूसरे से विवाह बंधन में बंध जाएँ।"

यहाँ तिबारा तलाक का "हसन" और "तीन बार घोषणा" दोनों शामिल है। "हसन" तलाक में पति जिसने कि

तुहर यानि दो मासिक काल के बीच में सम्भोग न किया हो, क्रमशः तीन तुहर में तलाक घोषित करता है और तीसरी बार तलाक कहने पर तलाक अंतिम हो जाता है। "तीन बार घोषणा" वाले तलाक में एक ही तुहर के समय में पति तलाक की तीन बार घोषणा करता है; जैसे- मैं "तुम्हें तिबारा तलाक देता हूँ" मैं तुम्हें तीन बार तलाक देता हूँ, या तीन वाक्यों में जैसे "मैं तुम्हे तलाक देता हूँ; मैं तुम्हे तलाक देता हूँ; मैं तुम्हें तलाक देता हूँ"।

जिस प्रकार मेहर का भुगतान पति के तलाक शक्ति का अवरोध है उसी प्रकार तिबारा तलाक दी गई स्त्री का किसी अन्य पुरुष से विवाह होना, उस विवाह का सम्भोग होना और उस अन्य पति द्वारा तलाक देना तब कहीं विवाह होना जल्द बाजी और बिना सोचे समझे तलाक के प्रति अवरोध है। यह कोई जरूरी नहीं है कि विवाहोपरान्त दूसरा पति उस स्त्री को जल्दी ही विवाह बन्धन से मुक्त कर दे। हो सकता है कि वह उसे आजीवन पत्नी बनाये रखे। इसके अतिरिक्त, जब यह विचार आता है कि उसकी स्त्री किसी अन्य पुरुष से विवाह कर सम्भोग करेगी तो होश हवास उड़ने लगते हैं और मस्तिष्क में यह बात चुभने लगती है कि अतएव वह अपनी पत्नी को अपरिहार्य दशा में तलाक देता है।

चूँकि पुरुष ने सदैव विवाद विधि को इस प्रकार से ढाल रखा है ताकि उनकी मर्जी के अनुसार वह विधि बनी रहे और वो जैसा करे, अतएव

उनलोगों ने पत्नी द्वारा अन्य पुरुष से विवाह कर सम्भोग करने के लिए प्रावधान को टालने के लिए चोर रास्ता निकाला है। तलाक दी गई स्त्री का विवाह किसी लड़के से करा दिया जाय। सुन्नी विधि के अनुसार यह लड़का अवश्य किशोरावस्था में हो, शिया विधि के अनुसार इससे भी कम अवस्था का हो सकता है। विवाहोपरान्त तुरन्त लड़का उस स्त्री को तलाक दे देता है और तब उस स्त्री का पुनर्विवाह उस पूर्व पति के संग होता है।

किन्तु वास्तव में देखा जाय तो ऐसा बिचौलिया पति विधि के साथ खिलवाड़ करने के सिवाय कुछ भी नहीं है और यह पवित्र कुरान के साथ धोखा धड़ी है। कुरान की निषेधाज्ञा यह है कि द्वितीय पति से हुआ विवाह का वास्तव में सम्भोग हो और द्वितीय पति उसे स्वेच्छा से तलाक दे और सम्भोग की उपधारणा के लिए विवाह सम्भोग का अवसर पर्याप्त नहीं माना जाता है और विशेष बात यह है कि मुस्लिम विधि के अनुसार किसी पुरुष के संग किसी स्त्री का विवाह केवल इस उद्देश्य से किया जा सकता है कि स्थायी पत्नी के तरह अपने पति के संग रहेगी न कि अस्थायी पत्नी की हैसियत से।